



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-14/2016-943 दिनांक : 24/7/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/
साहेबगंज वन प्रमण्डल/ जामताड़ा वन प्रमण्डल/ खूँटी वन प्रमण्डल/
सिमडेगा वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का
उन्नयन योजना" (जनतातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत रंगनी लाह एवं
कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के
लिए कुल **रु0 65.645 लाख (पैंसठ लाख चौंसठ हजार पाँच सौ रुपये)**
मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-25/2016-03/स्वी0 व0प0
दिनांक 13.05.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-
25/2016-34/आ0 व0प0 दिनांक 02.05.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796
जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के
अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 65.645 लाख
(पैंसठ लाख चौंसठ हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में
किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796090103	36.108
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796090323	27.787
प्रशिक्षण व्यय	19S240601796090335	1.750
कुल :-		65.645

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित
कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय
को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।
कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3
पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601796090103, 19S240601796090323 तथा 19S240601796090335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों/ वन संरक्षकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।



12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा

14. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की गई लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के स्वयं सहायता समूहों द्वारा रंगीनी/कुसुमी लाह उत्पादन (तृतीय वर्ष) संबंधी निम्नलिखित सूचनाएँ संधारित कर 30 नवम्बर, 2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय :-

क्र.सं.	प्रमाणित नाम	समूह का नाम	योजना के अंतर्गत संबंधित वन स्थल का नाम	सहायता समूह से जुड़ी समिति का नाम	समूह के सदस्यों का नाम, पता एवं मोबाइल नं० के साथ	INRG के प्रतिनिधि का नाम एवं पता / मोबाइल नं० के साथ	Continuum के प्रतिनिधि का नाम एवं पता / मोबाइल नं० के साथ	वर्ष 2016-17 में उत्पन्न वन पदार्थ की मात्रा (किग्रा. में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-14/2016-943

दिनांक-24/7/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ इनविस सेंटर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-14/2016-943

दिनांक-24/7/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ पाकुड़/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ खूँटी/ सिमडेगा/ गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				4.815	3.799	0.250	8.864
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
2	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
4	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
योग :-		500	50000	19.260	15.196	1.000	35.456

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				5.616	4.197	0.250	10.063
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	125	12500	5.616	4.197	0.250	10.063
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	125	12500	5.616	4.197	0.250	10.063
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125	12500	5.616	4.197	0.250	10.063
योग :-		375	37500	16.848	12.591	0.750	30.189
सकल योग :-		875	87500	36.108	27.787	1.750	65.645

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास
झारखण्ड, राँची

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने)
लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 237.38					अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	
1	वृक्षों का विज्ञापन	रु० 2.85 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000	0.000	बंति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का विज्ञापन किया जाएगा जिसे 5-6 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छँटाई करवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण							
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी					0.000	
3	दूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति दूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट					0.000	प्रथम वर्ष करवरी/मार्च में सेट-1 के 8250 वृक्षों की कटाई-छँटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छँटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई-छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष					0.000	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 कि०ग्रा० प्रति वृक्ष, रु० 200.00 प्रति कि०ग्रा०	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 8250 वृक्ष				0.000	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष	8250 वृक्ष	0.742			0.742	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	8250 वृक्ष		1.875		1.875	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 8000रु०					0.000	
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	8250 वृक्ष	0.593			0.593	
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.000	0.250		0.250	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु० प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/ प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500		0.500	
	कुल योग-			4.815	3.625	0.250	8.690	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost			0.174		0.174	
	सकल योग-			4.815	3.799	0.250	8.864	

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 4/यो0ब0-25/2016-03 दिनांक 13.05.2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को लाह-पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति सामुदायिक परिवार, कुल 1250 सामुदायिक परिवार

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति					अभ्युक्ति
			मौलिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	
1	वृक्षों का चिह्नानकन	रु० 2.65 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000	0.000	प्रति सामुदायिक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का चिह्नानकन किया जाएगा जिसे तीन सेट में बांटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 के लाभार्थियों द्वारा पूर्व से ही कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छटाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण							
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी					0.000	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची (IINRG) के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
3	दूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति दूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट					0.000	प्रथम वर्ष में सेट-1 के लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों की कटाई छटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट-3 के 3750 वृक्षों की कटाई छटाई एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। तृतीय वर्ष में सेट-3 के 3750 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण।
4	वृक्षों की कटाई-छटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष					0.000	
5	बीहन लाह का क्रय	4-6 कि० ग्राम प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति कि०ग्राम	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष				0.000	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मा० दि० प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.780			1.780	क्रय किए गए बीहन लाह से प्रथम वर्ष के जनवरी/ फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के पूर्व से लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए वन्यनि 3750 वृक्षों पर किया जाएगा तथा द्वितीय वर्ष के जनवरी माह में सेट-2 के वृक्षों तथा तृतीय वर्ष में सेट-3 के 3750 वृक्षों पर जनवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। जो कृषक फलेमजिया सेवियलता प्रजाति की खेती करेंगे वे तृतीय वर्ष के जुलाई माह में बीहन लाह का संचारण करेंगे।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	80 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 सामुदायिक परिवार @ 8000 रु०					0.000	
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.356			0.356	
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.000	0.250		0.250	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक/माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000 रु० प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500		0.500	
	कुल योग-			5.616	4.000	0.250	9.866	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				0.197		0.197	
	सकल योग-			5.616	4.197	0.250	10.064	

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 4/यो०ब०-25/2016-03 दिनांक 13.05.2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

घातु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-14/2016/943

दिनांक - 25-Jul-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	42997	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	481,500.00 रुपये चार लाख इक्क्यासी हजार पंच सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	42998	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	481,500.00 रुपये चार लाख इक्क्यासी हजार पंच सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	42999	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	481,500.00 रुपये चार लाख इक्क्यासी हजार पंच सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग: 1,444,500.00

क्रमिक योग: रुपये चौदह लाख चवालीस हजार पंच सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCOF.D(BADMAKHANDS)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवस्थापन पदा.	आवृत्ति राशि
4	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43000	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	481,500.00 रुपये चार लाख इकसवासी हजार पॉच सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43001	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O. KHUNTI	561,600.00 रुपये पॉच लाख इकसठ हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43002	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	561,600.00 रुपये पॉच लाख इकसठ हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

1,604,700.00

क्रमिक योग:

रुपये तीस लाख उनचास हजार दो सौ

3,049,200.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D(BADHARWANA)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवस्थापक पदा.	आवंटित राशि
7	\$ 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43003	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	561,600.00 रुपये पैंच लाख इकसठ हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
8	\$ 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43004	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O. DUMKA	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
9	\$ 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43005	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

1,321,400.00

क्रमिक योग:

रुपये तीरयालीस लाख सत्तर हजार छः सौ

4,370,600.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. (BAMHARGAANS) RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43006	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43007	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43009	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	419,700.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार सात सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

1,179,500.00

क्रमिक योग:

रुपये पचपन लाख पचास हजार एक सौ

5,550,100.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D(BADWAKHANGA)RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43010	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	419,700.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार सात सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43011	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	419,700.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार सात सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	43012	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

864,400.00

क्रमिक योग:

रुपये चौसठ लाख चौदह हजार पाँच सौ

6,414,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.BADHAKHAR, RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवर्तित राशि
16	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	43013	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
17	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	43014	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV FOR.OFF.SAHIBG NA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
18	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	43015	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				

योग:

75,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चौसठ लाख नवासी हजार पचास

6,489,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D.BADHAR(MAINTS)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796090335 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	43016	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
20	S 19 240601796090335 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	43017	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
21	S 19 240601796090335 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	43018	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग:

75,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पैंसठ लाख चौसठ हजार पाँच सौ

6,564,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. (M. K. G. S.) RANCHI